FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0284 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/11/2025 17:12 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन | Date From (दिनांक से): 13/10/2025 | Date To (दिनांक तक): 30/10/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 11:00 बजे | Time To (समय तक): 10:17 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/11/2025 | Time (समय): 14:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/11/2025 17:12:20 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 08 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL
      (b) Address(पता): HOMGARD PARSHIKSHAN KENDRA AVAM LAINE, SANSAR CHANDRA ROAD JAIPUR
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** SUNIL KUMAR SISODIYA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RAM KUMAR

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	19 A, TRINETR NAGAR,DIGGI ROAD, SANGANER, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	19 A, TRINETR NAGAR,DIGGI ROAD, SANGANER, SANGANER SADAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	CHANDRASHEKHAR SHARMA		पिता:LET.KAILASH CHANDRA SHARMA	1. 25,BANARJEE KA BAG,JASVANT SCHOOL KE PEECHHE,KOTWALI ALWAR,ALWAR,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 4,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

दिनांक 13.10.2025 को अति0 पुलिस अधीक्षक एसआईडबल्यू भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री सुनील कुमार सिसोदिया पुत्र श्री राम कुमार सिसोदिया, निवासी 19ए, त्रिनेत्र नगर, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री सुनील सिसोदिया को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईडब्लू, ए.सी.बी. जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी सुनील सिसोदिया ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही है। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि "मैं सुनील कुमार सिसोदिया पुत्र श्री राम कुमार सिसोदिया उम्र 25 साल, निवासी मकान नम्बर 19-ए, त्रिनेत्र नगर, डिग्गी रोड, सांगानेर जयपुर का रहने वाला हूँ तथा होमगार्ड स्वयं सेवक बेल्ट नम्बर 1809 के पद पर होमगार्ड लाईन जयपुर में पदस्थापित हूँ। होमगार्ड लाईन में सेक्टर 04 के प्रभारी श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कम्पनी कमाण्डर है जो होमगार्ड की ड्यूटीज लगाते है। श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कम्पनी कमाण्डर मेरी ड्यूटी लगाने के नाम पर 5000 (पांच हजार रूपये) की रिश्वत की मांग करके मुझे परेशान कर रहे है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ और उन्हे रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरी श्री चन्द्रशेखर शर्मा, कम्पनी कमाण्डर से कोई रंजिश नहीं है और ना ही उनसे कोई रूपयों का लेने देन है। कानूनी कार्यवाही करने का सादर अनुरोध है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत मांग का पाया जाने पर कार्यालय में उपस्थित श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. 442 को तलब कर परिवादी से उसका परिचय करवाया गया तथा कार्यालय हाजा की आलमारी से डिजीटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर परिवादी को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई। परिवादी सुनील कुमार सिसोदिया को संदिग्ध द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बंध में आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकार्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये, जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया ने बताया कि अब इस समय कम्पनी कमाण्डर श्री चन्द्रशेखर शर्मा की कार्यालय में मिलने की संभावना नहीं है। आईन्दा कार्यालय में उपस्थित मिलेंगे तब मै वार्ता करने उनके पास जाउंगा उस वक्त जरिये मोबाईल आपको अवगत करवा दूंगा उस समय आप श्री भूपेन्द्र को भेज देना, क्योंकि मेरी ड्यूटी भी रहती है व मैं थोडा निजी कार्य से भी व्यस्त हूं इसलिए बार बार आपके पास कार्यालय में नहीं आ पाउंगा, जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारी के पास रिश्वत मांग के सम्बंध में वार्ता करने हेतु जाने से पूर्व मन उप अधीक्षक पुलिस को अविलम्ब अवगत करवाने तथा गोपनीयता बनाये रखने की आवश्यक हिदायत कर कार्यालय से रवाना किया गया तथा वाईस रिकार्डर वापस कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रख जाकर श्री भूपेन्द्र कानि. को इस सम्बंध में आवश्यक निर्देश दिये गये। तत्पश्चात दिनांक 29.10.2025 को समय 9.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार ने जरिये फोन मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैं अभी संदिग्ध अधिकारी श्री चन्दशेखर शर्मा, कम्पनी कमाण्डर से मेरी डयुटी लगवाने के सम्बंध में वार्ता करने जाउंगा तो वह मेरे से रिश्वत राशि की मांग करेगा, मैं अभी होमगार्ड लाईन जयपुर के पास खडा हूँ जिस पर कार्यालय में उपस्थित श्री भूपेन्द्र कानि. 442 को तलब कर कार्यालय हाजा की आलमारी से सोनी कम्पनी का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर व एक नया मैमोरी कार्ड 32 जीबी का निकलवाकर खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 को सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि परिवादी से सम्पर्क कर उसके पास पहुंचकर संदिग्ध अधिकारी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांगने के सम्बंध में परिवादी व संदिग्ध की आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को रिकॉर्डर चालू कर सुपुर्द करें तथा परिवादी व संदिग्ध के मध्य होने वाली वार्ता के दौरान यथासम्भव निकटतम दूरी रखकर गोपनीय रूप से उनके मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें एवं उन पर नजर रखें। बाद वार्ता परिवादी से रिकॉर्डर वापस प्राप्त कर सुरक्षित हालात में मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत करें जिसकी फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 को आवश्यक हिदायत दी जाकर रवाना किया गया था। समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया व श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के

समक्ष उपस्थित आये तथा श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश करते हुए अवगत करवाया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर होमगार्ड लाईन संसार चन्द्र रोड जयपुर के पास पंहुंचा, जहां परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया मुझे उपस्थित मिला, जिस पर मैनें डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर को चालू कर परिवादी को दे दिया था। परिवादी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर होमगार्ड लाईन के अन्दर संदिग्ध अधिकारी के कार्यालय कक्ष में गया व कुछ देर बाद वापिस मेरे पास आया एवं डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मैनें बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री भूपेन्द्र कानि. की बातों की ताईद करते हुए अवगत करवाया कि श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर मैं कम्पनी कमाण्डर के कार्यालय कक्ष में गया तो उनके पास कुछ अन्य व्यक्ति भी बैठे थे तथा चाय पानी पी रहे थे, अन्य व्यक्तियों के जाने के बाद श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कम्माण्डर से मेरी ड्यूटी लगाने के सम्बंध में वार्ता हुई तो उसने मेरी डयुटी लगाने की ऐवज में मेरे से 4,000 रूपये रिश्वत राशी की मांग की है। मेरे और संदिग्ध अधिकारी के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड कर ली है। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ता को कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तो रिकॉर्डर में संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत मांग किया जाना सत्यापित पाया गया। उक्त वार्ता की फर्द ट्रासंक्रिप्ट परिवादी व स्वतंत्र गवाहान की मौजूदगी में तैयार की जावेगी तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित कार्यालय आलमारी में रखवाया गया। समय 12.30 पी.एम. पर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर के नाम पत्र क्रमांक 2249 दिनांक 29.10.2025 जारी कर उक्त पत्र श्री संदीप कुमार कानि नं. 93 को सुपूर्द किया जाकर दो स्वतंत्र गवाह पाबन्द कर लाने हेतु निर्देशित कर कार्यालय से रवाना किया गया जो समय 3.30 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाह 1. श्री नितेश पीतलिया स्व. श्री बिहारीदास पितलिया, उम्र 48 साल, निवासी प्लॉट नम्बर 79, संतोष सागर कॉलोनी ब्रह्मपुरी, जयपुर जिला जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग जयपुर व 2. श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री गोपालदेव शर्मा, उम्र 43 साल, निवासी म.न 3405-13 जयलाल मुशी का रास्ता चांदपोल जयपुर हाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी देवस्थान विभाग जयपुर को साथ लेकर मन पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को गोपनीय कार्यवाही बाबत अवगत कराया जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढवाया जाकर गोपनीय कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही तो दोनों स्वतन्त्र गवाह ने गोपनीय कार्यवाही में गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति दी। प्रार्थना पत्र पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर गवाहान को मुनासिब हिदायत की गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि संदिग्ध अधिकारी द्वारा कल दिनांक 30.10.2025 को रिश्वत राशि लिये जाने की पूर्ण संभावना है, जिस पर परिवादी को रिश्वत राशि सहित कल दिनांक 30.10.2025 को प्रातः 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया लाईन में कल प्रातः मेरी ट्रेनिंग होने से मैं आपके कार्यालय में उपस्थित नहीं हो पाउंगा, मैं आपको सिटी सेन्टर के पास मिल जाउंगा, जिस पर परिवादी को मोबाईल फोन चालू रखने तथा गोपनीयता बनाये रखने एवं अन्य आवश्यक हिदायत की जाकर रूखसत किया गया तथा स्वतंत्र गवाहान को भी गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर दिनांक 30.10.2025 को प्रातः 8.00 बजे कार्यालय में उपस्थित आने हेतु निर्देशित कर रूखसत किया गया । तत्पश्चात दिनांक 30.10.2025 को समय 9.05 ए.एम पर उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान व स्टॉफ को ब्रीफ किया जाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमती कविता यादव पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर एवं आवश्यक सामान के सरकारी वाहन टैम्पो ट्रेवलर व बोलेरो से वास्ते गोपनीय कार्यवाही हेतु बजानिब उत्तर दिशा के लिए रवाना हुआ। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को एक बैग में रखवाकर उक्त बैग श्री मुकेश कुमार कानि. को सुपूर्द कर आवश्यक निर्देश दिये जाकर हमराह दूसरी गाडी में बिठाया गया। परिवादी श्री सुनील कुमार को जरिये मोबाईल सिटी सैंटर के पास उपस्थित मिलने व गोपनीयता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा समय 9.20 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय श्रीमती कविता यादव पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर एवं आवश्यक सामान सिटी सेन्टर के पास संसार चन्द्र रोड जयपुर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया उपस्थित मिला। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सरकारी वाहन टैम्पों ट्रेवलर में परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया से संदिग्ध आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया ने अपने पास से 500-500 रूपये के आठ भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 4,000/- रूपये निकाल कर, गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी व सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उपरोक्त सभी 500-500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 4,000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाने हेतु श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 से एक अखबार पर उक्त सभी नोटों को रखकर उन पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया तथा परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया की जामा तलाशी गवाह श्री नितेश पीतलिया से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 4000/-रू0 के नोट सीधे ही श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 से परिवादी श्री सुनील सिसोदिया की पहनी

हुई पैन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छूये व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ पुलिस उप अधीक्षक को कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें तथा गवाहान को यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करने की हिदायत की गई। इसके बाद एक नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 को वापस अपने कब्जे में रखने की हिदायत की गई तथा गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाकर प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त गिलास व अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 के हाथों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं टेªप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरहं धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री मुकेश कुमार कानि नं. 100 को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सहित सीधे ही ब्यूरो कार्यालय जाने की हिदायत कर रवाना किया गया। रिश्वत लेन-देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु परिवादी को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री भूपेन्द्र कुमार कानि. को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करे। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट एवं सुपुर्दगी डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही के दौरान बीएनएसएस की धारा 105 के प्रावधानानुसार की जाने वाली विडियो रिकॉर्डिंग करने हेतु सरकारी कैमरे में एक नया मैमोरी कार्ड डलवा कर कैमरा श्री संदीप कुमार कानि नं. 93 को सुपूर्द कर रिकॉर्डिंग बाबत आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त होमगार्ड लाईन के आस-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। श्री भूपेन्द्र कुमार ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। परिवादी नजर की जद में हैं। मन उप अधीक्षक पुलिस मय टीम के मुकर्रर ईशारे का इंतजार में मुकीम हुआ। तत्पश्चात उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया ने होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर के मैन गेट से बाहर निकलते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी के पास पहुंचे तो परिवादी श्री सुनील कुमार ने साथ साथ उक्त प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश करते हुए बताया कि श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर ने अभी अभी उनके कार्यालय कक्ष में मेरे से रिश्वत राशि 4000रू. ली है तथा अभी वो पास में ही बने प्रशासनिक शाखा में बैठै हुए हैं, जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक मय टीम व स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के साथ उक्त कार्यालय में बनी प्रशासनिक शाखा मे पहुंचे तो परिवादी ने उक्त शाखा में सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर हैं जिसने इनके कार्यालय कक्ष में मेरे से रिश्वत राशि ली है। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान व हमराही जाब्ते का परिचय देते हुए कुर्सी पर बैठे उक्त व्यक्ति से उसका परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम चन्द्रशेखर शर्मा, कम्पनी कमाण्डर होना बताया। इस पर मन पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी-अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि मैंने इनसे कोई रूपये नहीं लिए, मैंने तो इससे चाय मंगवाई थी, जिस पर परिवादी ने उसकी बात को काटते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने मेरे से 4000रू. रिश्वत राशि ली है और अपने स्वयं के कार्यालय कक्ष की खिडकी में रखे फाईलों के बस्ते के पास रखवाई है। मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर वापस लिया जाकर बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया। इसके बाद उक्त संदिग्ध आरोपी को मय स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के साथ लेकर उसके कार्यालय कक्ष में आये जहां पर परिवादी ने ईशारा करते हुए बताया कि उक्त चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर ने मेरे से रिश्वत राशि के 4000रू. उक्त बस्ते के पास में रखवाये थे। वहां रूपये नजर नही आने पर परिवादी ने गौर से बस्ते की तरफ देखकर ईशारा कर बताया कि पैसें वो रखे हैं। जिस पर मन पुलिस उप अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री मनोज कुमार शर्मा से वहां तलाश करवाई तो बस्ते के कोनें में खाली जगह में रिश्वत राशि बरामद हुई, जिनको स्वतंत्र गवाह

श्री मनोज कुमार शर्मा से बाहर निकलवाकर गिनवाया गया जिसने गिनकर 4000रू. होना बताया। तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री चन्द्रशेखर शर्मा को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क R-1 व R-.2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक दूसरे नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुनः पूर्वानुसार पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री चन्द्रशेखर शर्मा के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री चन्द्रशेखर शर्मा को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क L-1 व L-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात बरामदशुदा रिश्वत राशि को गवाह श्री मनोज कुमार शर्मा से गिनवाया गया जिसने गिनकर 500-500 रूपये के 8 नोट, कुल 4000 रू0 होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान से उक्त सभी नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व फर्द पेशकशी में अंकित नोटों के नम्बरों से करवाने पर हूबहू उसी नम्बर के 500-500 रूपये के 8 नोट, कुल 4000 रू0 होना पाये गये। बरामद शुदा रिश्वत राशि 4,000/-रू0 को एक सफेद कागज में सील मोहर किया जाकर मार्क C अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी के कार्यालय कक्ष की खिडकी जिसको परिवादी द्वारा दराज कहा गया है उसमें रखे पीले रंग के कार्यालय रिकॉर्ड का बस्ता जिसके पास आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि रखवाई गई थी उस स्थान के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में रूई के एक फोव्वे की मदद से उक्त स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क W-1 व W-2 अंकित किया जाकर कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के उक्त फोव्वे जिसकी मदद से उपरोक्त स्थान का धोवन लिया गया उस फोव्वे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क F-1 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया । तत्पश्चात आरोपी के कार्यालय कक्ष की खिडकी में रखा पीले रंग का उक्त बस्ता जिसमे से रिश्वत राशि बरामद हुई उसके धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में रूई के एक फोव्वे की मदद से बस्ते के उक्त स्थान का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क B-1 व B-2 अंकित किया जाकर कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। रूई के उक्त फोव्वे जिसकी मदद से उपरोक्त स्थान का धोवन लिया गया उस फोव्वे को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क F-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया तथा उक्त पीले रंग के बस्ते को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर कपडे की थैली को सील मोहर कर मार्क B अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।आरोपी ने खिडकी में रखे पीले रंग के बस्ते के पास जिस स्थान पर परिवादी से रिश्वत राशि रखवाई थी, उक्त स्थान पर रिश्वत राशि बरामद नहीं होकर पास में ही रखे बस्ते में से बरामद हुई है। आरोपी से इस सम्बंध मे पूछने पर उसने कहा कि मैनें रिश्वत नही ली और ना ही इन रूपयों को हाथ लगाया। इस सम्बंध में परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि जब मैं आरोपी के कार्यालय कक्ष मे आया तब वहां पर श्री अर्जुन होमगार्ड जो आरोपी कम्पनी कमाण्डर के एल.सी. का कार्य करते हैं वह भी कमरे में आये थे किन्तु उसने मेरे से कभी कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की ना ही आज इस सम्बंध में उनसे मेरी कोई वार्ता हुई। चूंकि आरोपी द्वारा जिस स्थान पर रिश्वत राशि रखवाई गई रिश्वत राशि वहां से बरामद नही होकर पास में ही रखे बस्ते में से बरामद हुई है। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को हाथ नहीं लगाया जाना बताया गया है इसलिए आरोपी द्वारा उक्त रिश्वत राशि को श्री अर्जुन होमगार्ड एल.सी. से बस्ते में रखवाने की संभावना के मध्यनजर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक का पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकालकर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री अर्जुन होमगार्ड के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया

तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री अर्जुन होमगार्ड को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क AR-1 व AR-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद एक दूसरे नये साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में पुनः पूर्वानुसार पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री अर्जुन के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री अर्जुन को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क AL-1 व AL-2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया।भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2024 की धारा 105 के प्रावधानों के तहत उक्त बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ व खिडकी के स्थान एवं बस्ते के स्थान का धोवन लिये जाने के दौरान श्री संदीप कुमार कानि नं. 93 से जरिये कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई गई, जिसकी डी.वी.डी. बनवाने हेतु तीन खाली डी.वी.डी. को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी लैपटॉप की सहायता से वीडियो रिकॉर्डिंग की तीन अलग-अलग डी.वी.डी. तैयार की जाकर सही होना सुनिश्चित कर मार्का "VR-1", "VR-2", "VR-3" अंकित किया गया। डी.वी.डी. मार्का "VR-1", व "VR-2" को पृथक-पृथक सफेद कपडे् की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर कपडे की थैलियों पर मार्का-"VR-1", व "VR-2" अंकित कर सिलचिट चस्पा कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा डी.वी.डी. मार्का "VR-3" को खुला रख कर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त कैमरें में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त विडियो रिकॉडिंग सेव हुई है, उक्त मेमोरी कार्ड को कैमरे से बाहर निकलवाकर एक सफेद कागज में लपेटकर उसको एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिब्बी में रखकर डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्क VM अंकित किया जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया।तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अर्जुन होमगार्ड से पूछा गया कि क्या आरोपी श्री चन्द्रशेखर ने रिश्वत राशि आपसे बस्ते में रखवाई है या आपने रखी है जिस पर श्री अर्जुन ने बताया कि उक्त राशि के सम्बंध में मुझे कुछ नहीं पता ना तो श्री चन्द्रशेखर ने उक्त राशि बस्ते में रखने हेतु मेरे से कहा और ना ही मैनें रखी है, मुझे तो यह भी नहीं पता कि यहां पर इस प्रकार के कोई रूपये रखे हुए थे मै तो कार्यालय के कार्य से एक बार श्री चन्द्रशेखर शर्मा के कार्यालय कक्ष में गया था और कुछ देर बाद ही वहां से वापस प्रशासनिक शाखा में चला गया था। परिवादी से इस सम्बंध में पुनः पूछने पर उसने अपनी बाते दोहराते हुए बताया कि जब मैं आरोपी के कार्यालय कक्ष मे आया तब वहां पर यह श्री अर्जुन होमगार्ड भी कमरे में आये थे किन्तु उसने मेरे से कभी कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की ना ही आज इस सम्बंध में उनसे मेरी कोई वार्ता हुई तथा जिस वक्त आरोपी ने मेरे से रिश्वत राशि ली थी उस वक्त श्री अर्जुन होमगार्ड कमरे में मौजूद नहीं था। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी से उसका पूरा नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राह्म्ण उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 25 बनर्जी का बाग, जसवन्त स्कूल के पीछे पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल कम्पनी कमाण्डर, प्रभारी सेक्टर 04 गृह रक्षा दल जयपुर, होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर होना बताया।इसके बाद परिवादी व आरोपी को आमने सामने कर आरोपी से पूछा गया कि आपने इनसे किस बात के रूपये लिए हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि कि मैंने इनसे कोई रूपये नहीं मांगे तथा ना ही कोई रूपये लिये हैं जिस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर मेरी अगले महिने की डयुटी लगाने के लिए मेरे से चार हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे थे, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, इनकी मांग के अनुसार उक्त 4,000 रूपये मैंने इनके मांगने पर आज इनको दिये हैं।तत्पश्चात आरोपी से परिवादी की डयुटी लगाने व उससे संबंधित रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने बताया कि डयुटी से सम्बंधित सम्पर्क रजिस्टर व रिकॉर्ड कार्यालय रिकॉर्ड में हैं। उक्त रिकॉर्ड को सम्बंधित से पृथक से प्राप्त किया जायेगा। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई, जिसकी फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जायेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय 4.00 पी.एम. पर आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 59 साल, निवासी मकान नम्बर 25 बनर्जी का बाग, जसवन्त स्कूल के पीछे, पुलिस थाना कोतवाली अलवर हाल कम्पनी कमाण्डर, प्रभारी सेक्टर 04 गृह रक्षा दल जयपुर, होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथा संशोधन 2018 का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को उसके द्वारा कारित अपराध एवं उसके सवैंधानिक अधिकारों से अवगत करवाते हुये एवं उसके संवेधानिक अधिकारो की पूर्ण पालना करते हुये हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके कहे अनुसार उसके बेटे श्री पुनीत शर्मा को मोबाईन नं0 9079321055 पर दी गई। फर्द गिरफ्तारी एवं जामा तलाशी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई । तत्पश्चात दिनांक 31.10.2025 को परिवादी व आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा कम्पनी कमाण्डर के मध्य वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.10.2025 व वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 30.10.2025 को हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान व परिवादी की मौजूदगी में

कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया एवं परिवादी व गवाहान को सुनाया गया। परिवादी व गवाहान की उपस्थिति में मन उप्र अधीक्षक पुलिस के निर्देशन में श्री भूपेन्द्र कुमार कानि नं. 442 से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करवाई गई। उक्त वार्ता रूपान्तरण में परिवादी द्वारा स्वयं व संदिग्ध आरोपी की आवाज की पहचान की गई। स्वतंत्र गवाहान व परिवादी ने उक्त वार्ता रूपान्तरण (ट्रांसस्क्रिप्ट) का सम्बंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया एवं वार्ता रूपान्तरण सही होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु चार खाली डीवीडी मंगवायी जाकर चारों डीवीडी को खाली होना सुनिश्चित कर बारी-बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की चार अलग-अलग डीवीडी तैयार की जाकर सही होना तीन डीवीडी को पृथक-पृथक सफेद कपडे की थैलियों में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा एक डीवीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त वार्ता रिकॉर्ड है, उक्त मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील मोहर कर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्क्रिप्ट वक्त रिश्वत मांग सत्यापन एवं वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मूर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 25 बनर्जी का बाग, जसवन्त स्कूल के पीछे पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल कम्पनी कमाण्डर, प्रभारी सेक्टर 04 गृह रक्षा दल जयपुर, होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री सुनील कुमार सिसोदिया की डयुटी लगाने की ऐवज में मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.10.2025 के अनुसार परिवादी से 4,000 रूपये की मांग की जाकर उक्त मांग के अनुसरण में दिनांक 30.10.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन परिवादी से उक्त 4,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये पकडे जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 25 बनर्जी का बाग, जसवन्त स्कूल के पीछे पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल कम्पनी कमाण्डर, प्रभारी सेक्टर 04 गृह रक्षा दल जयपुर, होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन सादर प्रेषित है।(सुरेन्द्र पंचोली)उप अधीक्षक पुलिसस्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेन्द्र पंचौली, उप पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री चन्द्रशेखर शर्मा पुत्र स्व. श्री कैलाश चन्द शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 59 साल निवासी मकान नम्बर 25 बनर्जी का बाग, जसवन्त स्कूल के पीछे पुलिस थाना कोतवाली जिला अलवर हाल कम्पनी कमाण्डर, प्रभारी सेक्टर 04 गृह रक्षा दल जयपुर, होमगार्ड लाईन एवं प्रशिक्षण केन्द्र संसार चन्द्र रोड जयपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय सिहं, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. द्वितीय,जयपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 08 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिहं राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1606-09 दिनांक 01.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-01,जयपुर।2.उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर 3. महानिदेशक एवं महासमादेष्टा, गृह रक्षा राजस्थान,जयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	28/03/1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)